रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 1983/आषाढ़ 6, 1905

No. 281] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 1983/ASADHA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1983

का० आ० 475 (अ) :—यतः केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कलकत्ता की समिति की ओर से इस आशय का एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, कि उसके द्वारा बनाई गई उप-विधियों में संशोधन कर दिया जाए।

अतः, अब, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कलकत्ता की उपविधियों में, नीचे दी गई अनुसूची मे विनिर्दिष्ट किए गए संशोधन करती है और उस धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, व्यापार के हित में तथा ऋण पत्रों के लिए एक स्वस्थ बाजार के विकास को अविलम्ब प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, एतद्द्वारा, उपविधियों में किए गए उक्त संशोधनों के पूर्व-प्रकाशन की शर्त से भी अभिमुक्ति प्रदान करती है।

अनुसूची

कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कलकत्ता की उप-विधियों में :—

(1) उप-विधि 131 के शीर्षक में, पंक्ति 1 मे आने वाले "और ऋण पत्र" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(2) उप-विधि 131 के प्रथम पैराग्राफ में, पंक्ति 1 तथा 2 में आने वाले "और वाहक अथवा रजिस्ट्रीकृत ऋण पत्र" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(3) उप-विधि 131 के परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

(4) उप-विधि 135 के शीर्षक में "और वाहक प्रतिभूतियां" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(5) उप-विधि 135 में, पंक्ति 1 में आने वाले "और वाहक प्रतिभूतियां" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(6) उप-विधि 136 में पंक्ति 2 और 4 में आने वाले "और वाहक प्रतिभूतियां" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(7) उप-विधि 137 के खण्ड (क) में, पंक्ति 2 में आने वाले "और ऋण पत्र" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(8) उप-विधि 137 के खण्ड (ख) में, पंक्ति 4 और 5 में आने वाले "और ऋण-पत्र" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(9) उप-विधि 140 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विधियों को अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् :—

ऋण पत्रों अथवा बंध पत्रों (बांडों) के ब्याज सहित क्रय मूल्य में कटौती

140-क ऋण पत्रों/बंध पत्रों में ब्याज सहित लेन देनों के संबंध में, क्रेता क्रय मूल्य में सकल आधार पर ब्याज की कटौती कर सकेगा, बशर्ते कि प्रतिभूतियां अभिलेख की तारीख से अथवा ब्याज की अदायगी के प्रयोजन के लिए ऋण-पत्रों/बंध पत्रों का अन्तरण पुस्तकों के बंद हो जाने की तारीख से पहले 10 दिन से भी कम के अर्से में सुपुर्द कर दी गई हों ।

140-ख ऐसे ऋण पत्रों/बंध पत्रों में ब्याज सहित आधार पर किए गए लेन देनों के संबंध में, जिनका व्यवस्थापन क्रेता को समय पर ऋण पत्र/बंद-पत्र सुपुर्द किए जाने में विक्रेता की असफलता के कारण, उन ऋण पत्रों/बंध पत्रों के ब्याज रहित हो जाने के पश्चात हुआ हो, क्रेता क्रय मूल्य में से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा ।

(10) उप विधि 155 के खण्ड (क) में, पंक्ति 2 में आने वाले "और ऋण पत्र" शब्दों को हटा दिया जाएगा ।

(11) उप-विधि 144 के खण्ड (ख) में, पंक्ति 4 में आने वाले 'और ऋण-पत्र" शब्दों को हटा दिया जाएगा ।

[सं० फा० 2/10/एसई/82]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1983

S.O. 475(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Committee of the Calcutta Stock Exchange Association Ltd., Calcutta that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of The Calcutta Stock Exchange Association Ltd., Calcutta, specified in the schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section, the Central Government, in the interest of the trade, and with a view to promoting the development of a healthy market in debentures without delay, hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Calcutta Stock Exchange Association Ltd., Calcutta,—

(1) in the heading of Bye-law 131, the words "and Debentures" appearing in line 1, shall be deleted.

(2) in the first paragraph of Bye-law 131, the words "and bearer or registered debentures" appearing in lines 1 and 2, shall be deleted.

(3) the proviso to Bye-law 131, shall be deleted.

(4) in the heading of Bye-law 135, the words "and Bearer Securities" shall be deleted.

(5) in Bye-law 135, the words "and bearer securities" appearing in line 1, shall be deleted.

(6) in Bye-law 136, the words "and bearer securities" appearing in lines 2 and 4, shall be deleted.

(7) in clause (a) of Bye-law 137, the words "and debentures" appearing in line 2, shall be deleted.

(8) in clause (b) of Bye-law 137, the words "and Debentures" appearing in lines 4 and 5, shall be deleted.

(9) after Bye-law 140, the following new Bye-laws shall be inserted namely,—

Deduction from Cum-interest Purchase Price of Debentures or Bonds

140A. In respect of cum-interest transactions in debentures/bonds the buyer shall deduct from the purchase price the interest on gross basis provided the securities are delivered to him by the seller less than ten days before the record date or the date of closure of the Transfer Books of the debentures/bonds for the purpose of payment of interest.

140B. In respect of transactions in debentures/bonds entered into on a cum-interest basis but settled after the debentures/bonds become ex-interest in the market due to the inability of the seller to deliver to the buyer the debentures/bonds in time, the buyer shall deduct from the purchase price, the interest on a gross basis.

(10) in clause (a) of Bye-law 144, the words "and Debentures" appearing in line 2, shall be deleted.

(11) in clause (b) of Bye-law 144, the words "and debentures" appearing in line 4, shall be deleted.

[No. F. 2/10/SE/82]

N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983